



## उत्तर प्रदेश सरकार

लेखे एक दृश्टि में

**2011-2012**

महालेखाकार  
(लेखा एवं हकदारी)  
उत्तर प्रदेश

## आमुख

मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के “लेखे एक दृष्टि में” के वार्षिक प्रकाशन के चौदहवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इसके प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निदेशन के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा तैयार किये गये एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत किये गये वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे (वर्तमान वर्ष में कुल 1047 पृष्ठ) में उपलब्ध लेखे से सम्बन्धित विस्तृत सूचनाओं को और अधिक परिष्कृत, संक्षिप्त एवं समझने योग्य सरल बनाना है।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग द्वारा इन वर्षों में हुए वृहद् परिवर्तनों को विभिन्न रिपोर्टों/आख्याओं के प्रस्तुतीकरण के द्वारा दावेदारों (विधान मंडल, कार्यकारी एवं सर्वजन) को सूचित किया गया। सरकार /शासन की वित्तीय स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिये अतिरिक्त विवरणों के समावेश के साथ वित्त लेखे के प्रारूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। फलस्वरूप वित्त लेखे दो खण्डों में हैं। इन परिवर्तनों को देखते हुए “लेखे एक दृष्टि में” में भी आमूल संशोधन कर उसे व्यापक बनाया गया है। संयुक्त रूप में ‘वित्त लेखे’, ‘विनियोग लेखे’, ‘राज्य के वित्तीय रिपोर्ट’ एवं ‘लेखे एक दृष्टि में’ आदि के अध्ययन से दावेदारों को उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय पक्ष के विभिन्न पहलुओं को व्यापक एवं प्रभावी ढंग से समझने में सहायक होंगी।

हमें आपके सुझावों एवं टिप्पणियों की अपेक्षा है जो इसके प्रकाशन के सुधार में सहायक हो सके।

(पी0के0 तिवारी)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

उत्तर प्रदेश

स्थान: इलाहाबाद

दिनांक: 31-12-2012

## gekj k nf' Vdks k] y{; , oacfu; knh ew;

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संस्थान का “दृष्टिकोण” यह प्रस्तुत करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

हमारा प्रयास है कि हम विश्व में अग्रणी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा तथा लेखाकरण के पेशे में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूत्रधार के रूप में सर्वोत्तम बनें एवं लोक लेखे तथा सुशासन में हमारी पहचान स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित एवं सामयिक हो।

हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा आज जो हम कर रहे हैं उसे वर्णित करता है।

भारत के संविधान के द्वारा अधिदेशाधीन हम लेखा परीक्षा तथा लेखाकरण में उच्च गुणवत्ता, द्वारा उत्तरदायित्व पारदर्शिता तथा सुशासन को बढ़ावा देते हैं तथा अपने दावेदारों (विधानमण्डल, कार्यकारी तथा सर्वजन) को आश्वासन देते हैं कि लोक निधियां कुशलतापूर्वक मूल उद्देश्यों के लिये ही प्रयुक्त की जा रही हैं।

हमारे “बुनियादी मूल्य” हमारे हर कार्य के मार्गदर्शन में एक प्रकाश स्तम्भ है तथा हमें कार्य के निर्धारण एवं निष्पादन के आकलन में मानक परिमाप देते हैं।

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| * स्वतंत्रता  | * व्यवसायिक उत्कृष्टता |
| * निष्पक्षता  | * पारदर्शिता           |
| * ईमानदारी    | * सकारात्मक दृष्टिकोण  |
| * विश्वसनीयता |                        |

# fo'k; | ph

<b>v/; k; 1</b>	<b>परिदृश्य</b>	<b>पृष्ठ</b>
1.1	परिचय	7
1.2	लेखे की संरचना	7
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	9
1.4	निधियों का स्रोत एवं उपयोग	11
1.5	लेखे के मुख्य अंश	14
1.6	घाटा एवं आधिक्य क्या दर्शाते हैं ?	15

---

## v/; k; 2 प्राप्तियां

2.1	परिचय	17
2.2	राजस्व प्राप्तियां	17
2.3	प्राप्तियों का प्रवाह	18
2.4	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का निष्पादन	20
2.5	कर संग्रह की दक्षता	20
2.6	संघ करों में राज्यांश का प्रवाह	21
2.7	सहायता अनुदान	22
2.8	लोक ऋण	22

---

## v/; k; 3 व्यय

3.1	परिचय	23
3.2	राजस्व व्यय	23
3.3	पूँजीगत व्यय	25

---

## v/; k; 4 आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय

4.1	व्यय का वितरण	27
4.2	आयोजनागत व्यय	27
4.3	आयोजनेत्तर व्यय	28
4.4	प्रतिबद्ध व्यय	28

---

## v/; k; 5 विनियोग लेखे

5.1	विनियोग लेखे के सारांश	29
5.2	विगत 5 वर्षों के दौरान बचत/व्ययाधिक्य का प्रवाह	29
5.3	पर्याप्त बचत	30

---

<b>v/; k; 6</b>	<b>परिसम्पत्तियां एवं दायित्व</b>	
6.1	परिसम्पत्तियां	32
6.2	ऋण एवं देयतायें	32
6.3	प्रत्याभूतियां	33
<hr/>		
<b>v/; k; 7</b>	<b>अन्य मदें</b>	
7.1	महत्वपूर्ण लेन देनों के चेकों का व्यपगत होना	34
7.2	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण तथा अग्रिम	34
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	34
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शोष का निवेश	35
7.5	लेखे का मिलान	35
7.6	कोषागारों द्वारा प्रस्तुत लेखे	36
7.7	सार आकस्मिकता बिल तथा विस्तृत आकस्मिकता बिल	37
7.8	व्यय	37
7.9	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की प्रतिबद्धता	38

V /; k; I

i f j n` ;

## 1.1 i f j p;


उत्तर प्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश संकलित करते हैं। यह संकलन भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह एवं जिला कोषागारों, लोक निर्माण विभाग तथा वन प्रभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारम्भिक लेखाओं के आधार पर संकलित किया गया है। इस संकलन से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे तैयार करते हैं, जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा लेखापरीक्षा के पश्चात् तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

## 1.2 y[ks d[hl | j[puk

### 1.2.1 | jdkjh ys[ks d[ks rhu Hkkxka eij[kk tkrk g%

Hkkx 1   efdr fuf/k	राजस्व तथा पूँजीगत लेखाओं पर प्राप्तियां एवं व्यय, लोक ऋण तथा ऋण एवं अग्रिम।
Hkkx 2 vkdfLedrk fuf/k	बजट में प्रावधान न किये गये अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के उद्देश्य से रखा गया। इस निधि से किये गये व्यय बाद में समेकित निधि द्वारा आपूरित किये जाते हैं।
Hkkx 3 Ykked ys[kk	इसमें ऋण, जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचन्त की अन्तरण आदि शामिल हैं। ऋण तथा जमा सरकार द्वारा पुनर्भुगतान के दायित्वों को प्रदर्शित करते हैं। सरकार को प्राप्त होने योग्य अग्रिम दर्शाते हैं। प्रेषण तथा उचन्त के अन्तरण, अंततः अन्तिम शीर्ष लेखों में समायोजित प्रविष्टि द्वारा समाशोधित किये जाते हैं।

## 1.2.2 *yqkkvka dk / dyu*



## 1-3 forr ysks , oa fofo; kx ysks

### 1-3-1 forr ysks

वित्त लेखे वर्ष में सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ लेखाओं में राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण एवं लोक लेखाओं के अभिलिखित अवशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। वित्त लेखे को नये फार्मेट में दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है ताकि उसे और अधिक विस्तृत एवं सूचनापूर्ण बनाया जा सके। वित्त लेखे के खण्ड-I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरणों का सारांश एवं “लेखे पर टिप्पणी” जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों, लेखाओं की गुणवत्ता एवं अन्य मद हैं, समाविष्ट है, खण्ड-II में अन्य विवरणों का सारांश (भाग-I) विस्तृत विवरण (भाग-II) तथा परिशिष्ट (भाग-III)।

वर्ष 2011–12 के वित्त लेखे में उत्तर प्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों को नीचे दर्शाया गया है:

			(करोड़ ₹ में)
i kflr; ka %dly tkM+ 146434-70%	jktLo %dly 130869-70%	कर राजस्व	102964.38
		कर भिन्न राजस्व	10145.30
		सहायता अनुदान	17760.02
	i lthxr %dly 15565-00%	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	133.17
		उधार एवं अन्य	15431.83
		उत्तरदायित्व *	
I forj.k %dly tkM+ 146434-70%	jktLo		123885.17
	i lthxr		21573.96
	_.k , oa vfxe		975.57

\* उधार और अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियां—संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां—संवितरण)+ निवल रोकड़ शेष का आदि तथा अन्त शेष।

केन्द्र सरकार राज्य की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकमों के क्रियान्वयन के लिए लागू करने वाली एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को सीधे पर्याप्त निधि हस्तान्तरित करती है। इस वर्ष भारत सरकार ने सीधे ₹10682.51 करोड़ (₹14348.44 करोड़ विगत वर्ष) जारी/अवमुक्त किया। चूंकि ये निधियों राज्य बजट के माध्यम से जारी नहीं की जाती हैं, वे राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। इन हस्तान्तरण/स्थानान्तरण को अब वित्त लेखे, खण्ड-II के परिशिष्ट-VII में प्रदर्शित किया गया है।

### 1-3-2 fofu; kx yſ[ks

विनियोग लेखे वित्त लेखे का पूरक है। वे राज्य सरकार के व्यय समेकित निधि पर "प्रभारित" अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा दत्तमत धनराशियों के सापेक्ष राज्य सरकार के व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इसमें 45 प्रभारित विनियोग तथा 90 दत्तमत अनुदान हैं।

विनियोग अधिनियम, 2011–12 द्वारा सकल व्यय के लिए ₹190925.42 करोड़ एवं व्यय में कमी (वसूली) के लिए ₹10629.10 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹166419.29 करोड़ तथा व्यय में कमी ₹11696.98 करोड़ थी। परिणामतः ₹24506.13 करोड़ (12.84%) की निवल बचत हुई एवं ₹1067.88 करोड़ (10%) की व्यय में कमी का कम आंकलन हुआ। राजस्व एवं पूंजीगत के अन्तर्गत व्यय में कमी अनुमान से अधिक थी। वर्ष के दौरान सकल व्यय में आकस्मिक सार देयक (ए०सी०) पर आहरित ₹ 100.41 करोड़ शामिल है जिसमें से ₹ 39.42 करोड़ अभी भी समर्थित विस्तृत आकस्मिक देयक (डी०सी०) के अभाव में वर्ष के अन्त तक बकाया है।

सामान्यतः व्यक्तिगत जमा खाता (पी०डी०) के अन्तर्गत अप्रयुक्त अवशेषों को वित्तीय वर्ष के अन्त में सरकारी लेखों को वापस हस्तान्तरित कर देना चाहिए। परन्तु वर्ष के अन्त में 60 व्यक्तिगत जमा खातों (शीर्ष 8443–106 के अधीन) में ₹ 0.25 करोड़ की राशि के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया गया।

राज्य के विभिन्न कोषागारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1572 में से केवल 508 व्यक्तिगत जमा लेखों (पी०डी०) का ही मिलान हो पाया। यह भी संज्ञान में आया है कि बजट आबंटन की अप्रयुक्त अवशेष राशि को सार आकस्मिक देयक (ए०सी०) के माध्यम से आहरित कर और समेकित निधि के विभिन्न मुख्य सेवा शीर्षों में नामे (डेविट) कर उद्दिष्ट व्यक्तिगत जमा लेखों (पी०डी०) के अन्तर्गत जमा कर दी गई।

1-4 fuf/k; k<sup>o</sup> dk Jks , oam i ; kx

1-4-1 vFkks k; vfxe

भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) राज्यों को अपनी तरलता बनाये रखने हेतु उनके लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। ओवर ड्राफ्ट (ओ0डी0) की सुविधा तब प्रदान की जाती है जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक (आर 0बी0आई0) से सहमत न्यूनतम रोकड़ शेष ( $\text{₹}4.71$  करोड़) के रखरखाव में कमी हो जाय। वर्ष 2011–12 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने ओवर ड्राफ्ट (ओ0डी0) की सुविधा का सहारा नहीं लिया। यह देखने योग्य तथ्य है कि लगभग सभी 91 अनुदानों में कुल बचत  $\text{₹}24506.13$  करोड़ थी जिसके परिणाम स्वरूप अनुमान के विरुद्ध व्यय में 13% की कमी हुई।

1-4-2 fuf/k ipkg fooj.k

राज्य के पास  $\text{₹}6984.53$  करोड़ का राजस्व अधिशेष था एवं  $\text{₹}15431.83$  करोड़ का राजकोषीय घाटा था जोकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) का कमशः 1.02% और 2.24% प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 10.54% था। इस घाटे की पूर्ति लोक ऋण ( $\text{₹}11364.69$  करोड़), लोक लेखा में वृद्धि ( $\text{₹}3302.92$  करोड़), आकस्मिकता निधि से अनापूरित योगदान ( $\text{₹}(-)269.75$  करोड़) और निवल प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ अवशेष ( $\text{₹}1033.97$  करोड़) से की गई। राज्य सरकार की लगभग 63.22% राजस्व प्राप्तियों ( $\text{₹}130869.7$  करोड़) को प्रतिबद्ध व्ययों जैसे वेतन एवं मजदूरी ( $\text{₹}47520.97$  करोड़), ब्याज का भुगतान ( $\text{₹}15480.95$  करोड़), पेंशन ( $\text{₹}14127.06$  करोड़) तथा सब्सिडी ( $\text{₹}5600.92$  करोड़) पर व्यय किया गया।

---

<sup>1</sup> जहाँ विपरीत इंगित है के अलावा, जी0एस0डी0पी0 के आंकड़े जो इस संस्करण में प्रयोग किये गये हैं, आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से प्राप्त सूचनाओं से लिए गये हैं।


fuf/k; ka dls | kṣ̥ , oa mi ; kṣ̥

( करोड़ ₹ में )


kṣ̥	fooj . k	/kuj kf k
	दिनांक 01.04.2011 को आरम्भिक रोकड़ शेष	414.63
	राजस्व प्राप्तियॉ	130869.70
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	133.17
	लोक ऋण	19652.30
	आकस्मिकता निधि	39.89
	अल्प बचत, भविष्य निधि एवं अन्य	9539.26
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियॉ	10255.12
	जमा प्राप्तियॉ	10401.93
	सिविल अग्रिमों का प्रतिदान	148.93
	उचन्त लेखा	257524.23
	प्रेषण	18705.74
	; kṣ̥	457684.90

mi ; kṣ̥	राजस्व व्यय	123885.17
	पूंजीगत व्यय	21573.96
	प्रदत्त ऋण	975.57
	लोक ऋण का भुगतान	8287.61
	आकस्मिकता निधि	309.64
	अल्प बचत, भविष्य निधि तथा अन्य	5908.99
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियॉ	4767.87
	जमा संवितरण	12440.23
	सिविल अग्रिमों का संवितरण	149.10
	उचन्त लेखा	261091.68
	प्रेषण	18914.42
	दिनांक 31.03.2012 को अंतिम रोकड़ शेष	(-)619.34
	; kṣ̥	457684.90

#### 1.4.3 रूपया कहाँ से आया



#### 1.4.4 रूपया कहाँ गया



## 1.5 ys[ks ds eq[; va k

( करोड़ ₹ में )


de 10	en	ctV vuþku 2011&12	okLrfod vkðMþ	ctV vuþku I s okLrfod vkðMþ dk i fr kr	I dy jkT; ?kjy w mRi kn I s okLrfod vkðMþ dk i fr kr
1.	कर राजस्व @	98609.37	102964.38	104.42	14.97
2.	करेतर राजस्व	12111.56	10145.30	83.77	1.47
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	20707.77	17760.02	85.77	2.58
4.	राजस्व प्राप्तियाँ ( 1+2+3 )	131428.70	130869.70	99.57	19.03
5.	कर्ज तथा उधार की वसूली	671.77	133.17	19.82	0.02
6.	उधार एवं अन्य दायित्व (अ)	18959.66	15431.83	81.39	2.24
7.	पूंजीगत प्राप्तियाँ (5+6)	19631.43	15565.00	79.29	2.26
8.	कुल प्राप्तियाँ (4+7)	151060.13	146434.70	96.94	21.29
9.	आयोजनेत्तर व्यय (*)	103432.67	102669.20	99.26	14.93
10.	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	101756.11	101269.25	99.52	14.72
11.	ब्याज के भुगतान पर आयोजनेत्तर व्यय (10 में से)	14982.53	15480.95	103.33	2.25
12.	आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय	1676.56	1399.95	83.50	0.20
13.	आयोजनागत व्यय (*)	47627.46	43765.50	91.89	6.36
14.	आयोजनागत राजस्व व्यय	24037.55	22615.92	94.09	3.29
15.	आयोजनागत पूंजीगत व्यय	23589.91	21149.58	89.66	3.07
16.	कुल व्यय (9+13)	151060.13	146434.70	96.94	21.29
17.	राजस्व व्यय (10+14)	125793.66	123885.17	98.48	18.01
18.	पूंजीगत व्यय (12+15) (#)	25266.47	22549.53	89.25	3.28
19.	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (4-17)	5635.04	6984.53	123.95	1.02
20.	राजकोषीय आधिक्य (+)/घाटा (-) (4+5-16)	(-)18959.66	(-)15431.83	81.39	2.24

- @ केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा ₹ 50350.95 करोड़ शामिल
- (\\$) सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹687836.28 करोड़ ( अग्रिम ) ( स्रोत: आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ )
- (#) पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय ( ₹21573.96 करोड़ ) तथा ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण ( ₹ 975.57 करोड़ ) शामिल है।
- (\*) व्यय में ₹ 561.09 करोड़ ( आयोजनेत्तर ) तथा ₹414.48 करोड़ ( आयोजनागत ) जो कि ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित हैं शामिल हैं।
- (अ) उधार एवं अन्य दायित्व: निवल ( प्राप्तियाँ – संवितरण ) लोक ऋण + निवल आकस्मिकता निधि + निवल( प्राप्तियाँ – संवितरण ) लोक लेखे तथा निवल आकस्मिक एवं अन्तिम रोकड़ शेष।


## 1.6 ?kkVk rFkk v{kf/kD; D; k bfxr djrs gP

?kkVk	राजस्व तथा व्यय के अंतर की ओर इंगित करता है। घाटे का प्रकार, घाटे को किस प्रकार वित्त पोषित किया गया तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमता के प्रमुख संकेतक हैं।
jktLo ?kkVk@v{kf/kD;	राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अंतर की ओर इंगित करता है। वर्तमान सरकारी स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है। तथा आदर्शतः राजस्व प्राप्तियों से उसकी पूर्ति होनी चाहिए।
foRrh; ?kkVk@v{kf/kD;	समग्र प्राप्तियों ( उधारी छोड़कर ) तथा समग्र व्यय के अंतर की ओर इंगित करता है। अतः यह अंतर व्यय को उधारी के द्वारा किस सीमा तक पोषित किया गया की ओर इंगित करता है। आदर्शतः उधारी को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।


### 1.6.1 jktLo ?kkVk@v{kf/kD; dk ipkg



## 1.6.2 फॉरेंची विवरणीयता



## 1.6.3 मुक्त योग्य और अनुपयोगिता का व्यवहार विवरणीयता



सामान्यतः पूँजीगत व्यय उधार ली गई निधियों से किया जाता है। यह अपेक्षित है कि उधार ली गयी निधियों का पूर्णतः उपयोग पूँजीगत परिस्थितियों के निर्माण हेतु किया जाय तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु किया जाय। राज्य सरकार ने वर्तमान वर्ष की उधारी (₹19652.30 करोड़) का 109% पूँजीगत (₹21573.96 करोड़) व्यय पर किया।

# V /; k; II


i kflr; kW

## 2-1 ifjp;

सरकारी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2011–12 के लिये कुल प्राप्तियों ₹ 146434.70 करोड़ थी।

## 2-2 jktLo i kflr; kW

dj jktLo	में राज्य द्वारा संगृहीत तथा प्रतिधारित किये गये कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का अंश शामिल है।
dj rj jktLo	में ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल होते हैं।
I gk; rk vupku	अनिवार्यतः केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता का एक प्रकार। इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से 'वाह्य सहायता अनुदान' तथा सहायता, सामग्री तथा उपकरण शामिल होते हैं। राज्य सरकार भी पंचायती राज्य संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं इत्यादि को इसके बदले सहायता अनुदान प्रदान करती है।



## jktLo i kflr; kā ds ?kVd 1/2011&12

( करोड़ ₹ में )

?kVd	okLrfod i kflr; kW
d& dj jktLo	<b>102964.38</b>
आय एवं व्यय पर कर	29916.21
संपत्ति एवं पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	8261.60
वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	64786.57
[k& djर्ज jktLo	<b>10145.30</b>
राजकोषीय सेवायें	0.06
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	827.39
सामान्य सेवायें	4906.97
सामाजिक सेवायें	2661.56
आर्थिक सेवायें	1749.32
x& I gk; rk vunku , oवा knku	<b>17760.02</b>
; kx& jktLo i kflr; kW	<b>130869.70</b>

## 2-3 i kflr; kā dk i pkgs


( करोड़ ₹ में )

	<b>2007-08</b>	<b>2008-09</b>	<b>2009-10</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>
dj jktLo	54247.06 (14)	59564.69 (13)	65674.27 (13)	84573.90 (14)	102964.38 (15)
djर्ज jktLo	5816.01 (2)	6766.56 (2)	13601.09 (3)	11176.21 (2)	10145.30 (1)
I gk; rk vunku	8609.40 (2)	11499.48 (3)	17145.59 (3)	15433.65 (3)	17760.02 (3)
dy jktLo i kflr; kW	68672.47 (18)	77830.73 (18)	96420.95 (18)	111183.76 (18)	130869.70 (19)
I dy jkt; ?kjyW mRikn (*)	383025.52(क)	444684.86(क)	523192.83(क)	605219.23(ख)	687836.28(ग)

टिप्पणी: कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है।

- (\*) राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद परिमापित किया गया है।
- (क) 2007-08 से 2009-10 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा संशोधित किये गये हैं तथा अनन्ति हैं।
- (ख) वर्ष 2010-11 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा संशोधित किये गये हैं तथा त्वरित हैं।
- (ग) वर्ष 2011-12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े अग्रिम हैं।

यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2010–11 तथा 2011–12 के बीच 13.65% की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रह में वृद्धि केवल 17.71% थी। जबकि कर राजस्व में 21.74% की वृद्धि हुई, 'श्रम एवं रोजगार' (₹184.87 करोड़), 'अन्य प्रशासनिक सेवाएं' (₹168.19 करोड़), 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' (₹104.47 करोड़), 'ब्याज प्राप्तियां' (₹99.90 करोड़) एवं 'सङ्कट एवं सेतु' (₹54.34 करोड़) के संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद करेतर राजस्व में 9.22% की गिरावट आयी। करेतर राजस्व में गिरावट का मुख्य कारण वर्ष 2011–12 में 'विविध सामान्य सेवायें' (₹1085.43 करोड़), 'शिक्षा खेलकूद, कला एवं संस्कृति' (₹605.56 करोड़) एवं 'जलापूर्ति एवं सफाई' (₹66.54 करोड़) के अन्तर्गत कम वसूली थी। राज्य के स्वयं के राजस्व के अन्तर्गत कुछ कर घटकों जैसे 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर' (₹8270.82 करोड़) 'स्टाम्प तथा पैंजीकरण शुल्क' (₹ 1719.75 करोड़), 'राज्य उत्पाद शुल्क' (₹1415.71 करोड़), तथा 'वाहनों पर कर' (₹558.98 करोड़) में उच्च प्रवाह का प्रदर्शन हुआ।




{k= okj dj jktLo

( करोड़ ₹ में )

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आय तथा व्यय पर कर	15552.36	16518.92	20395.89	25845.27	29916.21
सम्पत्ति तथा पूँजीगत लेनदेनों पर कर	4379.53	4697.16	5254.98	7143.46	8261.60
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	34315.17	38348.61	40023.40	51585.17	64786.57
कुल कर राजस्व	54247.06	59564.69	65674.27	84573.90	102964.38

## सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में प्रमुख्य करों का प्रवाह



(\*) मुख्यतः राज्य को केन्द्रीय करों के निवल आगम

### 2-4 jkT; ds Lo; ad s dj jktLo | xg dk fu' i knu

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	ज्ञाता करों द्वारा देने वाली राज्य संग्रहीत राजस्व की किमी	ज्ञाता करों द्वारा देने वाली राज्य संग्रहीत राजस्व की किमी	ज्ञाता करों द्वारा देने वाली राज्य संग्रहीत राजस्व की किमी	
			संपत्ति तथा पूंजीगत लेन-देनों पर कर	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007-08	54247.06	29287.74	24959.32	6.52
2008-09	59564.69	30905.72	28658.97	6.44
2009-10	65674.27	31796.67	33877.60	6.48
2010-11	84573.90	43464.05	41109.85	6.79
2011-12	102964.38	50350.95	52613.43	7.65

### 2-5 dj | xg dh n{krk

(क) संपत्ति तथा पूंजीगत लेन-देनों पर कर

(करोड़ ₹ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व संग्रह	4379.53	4697.16	5254.98	7143.46	8261.60
संग्रह पर व्यय	837.64	947.91	1222.11	1568.90	1662.85
कर संग्रह की दक्षता	19%	20%	23%	22%	20%

## (ख) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर

(करोड़ ₹ में)

	<b>2007-08</b>	<b>2008-09</b>	<b>2009-10</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>
राजस्व संग्रह	34315.17	38348.61	40023.40	51585.17	64786.57
संग्रह पर व्यय	345.39	482.45	1155.49	1440.15	1135.07
कर संग्रह की दक्षता	1%	1%	3%	3%	2%

वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक प्रमुख हिस्सा है। कर संग्रह की दक्षता उत्कृष्ट है। हालांकि संपत्ति तथा पूँजीगत लेनदेन पर करों की संग्रह दक्षता में सुधार किया जा सकता है।

## 2.6 | अक दिक्षा एक्ट; कर कर fi Nys i क्षेत्र o' क्षेत्र dk i वक्ता

(करोड़ ₹ में)

<b>एक दिक्षा एक्ट; कर कर fi Nys i क्षेत्र o' क्षेत्र dk i वक्ता</b>	<b>2007-08</b>	<b>2008-09</b>	<b>2009-10</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>
निगम कर	9295.11	10134.47	13085.69	16892.90	19818.72
निगम कर से भिन्न आय पर कर	6238.76	6363.88	7289.26	8926.93	10067.03
आय तथा व्यय पर अन्य कर	(-)0.47	(-)0.33	0.00	0.00	0.00
धन कर	10.32	9.61	29.61	34.64	76.51
सीमा शुल्क	5535.94	5907.92	4450.18	7557.41	8730.00
संघ उत्पाद शुल्क	5284.77	5152.47	3584.65	5497.76	5649.14
सेवा कर	2924.43	3338.69	3357.31	4309.45	6009.58
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	(-)1.12	(-)0.99	(-)0.03	244.96	(-)0.03
<b>एक दिक्षा एक्ट; कर वाक</b>	<b>29287.74</b>	<b>30905.72</b>	<b>31796.67</b>	<b>43464.05</b>	<b>50350.95</b>
<b>द्वय दिक्षा एक्ट</b>	<b>54247.06</b>	<b>59564.69</b>	<b>65674.27</b>	<b>84573.90</b>	<b>102964.38</b>
<b>द्वय दिक्षा एक्ट</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>49</b>

## 2.7 | gk; rk vupku

सहायता अनुदान भारत सरकार से सहायता तथा वाह्य सहायता अनुदान को प्रदर्शित करता है और इसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी राज्य आयोजनागत योजनायें, केन्द्रीय आयोजनागत योजनायें, केन्द्र प्रायोजित योजनायें तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किये गये राज्य आयोजनेत्तर अनुदान शामिल होते हैं। वर्ष 2011–12 में सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ ₹17760.02 करोड़ थीं जो निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ ₹ में)



कुल सहायता अनुदान में आयोजनेत्तर अनुदान का हिस्सा वर्ष 2010–11 में 20% से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 25% हो गया जबकि आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान का हिस्सा वर्ष 2010–11 में 44% से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 75% हो गया। राज्य आयोजनागत योजनाओं, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं में केन्द्रीय हिस्सेदारी के बजट अनुमान ₹15534.45 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार को वास्तविक रूप में ₹13363.17 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ (बजट अनुमान का 86%)।

## 2.8 ykd \_\_.k

पिछले पाँच वर्षों में लोक ऋण का प्रवाह

(करोड़ ₹ में)

fooj .k	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आंतरिक ऋण	4531.04	10762.00	15737.68	14948.00	12363.65
केन्द्रीय ऋण	(-821.20)	(-778.45)	(-917.20)	(-937.00)	(-998.96)
कुल लोक ऋण	3709.84	9983.55	14820.48	14011.00	11364.69

टिप्पणी—ऋणात्मक आंकड़े प्राप्तियों से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करते हैं।

वर्ष 2011–12 के दौरान पन्द्रह ऋणों जिनका योग ₹ 15830.00 करोड़ था, 8.56% से 9.28% की विभिन्न ब्याज दरों पर तथा वर्ष 2021–22 में विमोच्य को सममूल्य पर उगाहा गया। वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹19336.67 करोड़ तथा इस अवधि के दौरान प्राप्त केन्द्रीय ऋण घटक ₹315.63 करोड़ के सापेक्ष पूंजीगत व्यय ₹21573.96 करोड़ (110%) था।

# V /; k; III

0; ;

## 3-1 i f j p;

संवितरणों को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग संगठन को दिन-प्रतिदिन चलाने के लिए किया जाता है। पूँजीगत व्यय का उपयोग स्थायी सम्पत्ति बनाने के लिए किया जाता है या ऐसी संपत्ति की उपयोगिता बढ़ाने के लिए अथवा स्थायी देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। व्यय को आगे आयोजनागत तथा आयोनेत्तर के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

I kekU;   ūk; ॥	इसमें पुलिस, जेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि शामिल हैं।
Lkkekftd   ūk; ॥	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति का कल्याण इत्यादि शामिल हैं।
VkfFkld   ūk; ॥	इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं।

## 3.2 jktLo 0; ;

आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹ 1421.63 करोड़ तथा आयोजनेत्तर व्यय के अन्तर्गत ₹ 486.86 करोड़ के कम संवितरण के कारण वर्ष 2011–12 में राजस्व व्यय ₹ 123885.17 करोड़ में बजट अनुमानों से ₹ 1908.49 करोड़ की गिरावट आयी। इस गिरावट को राजस्व प्राप्तियों में ₹ 559.00 करोड़ (0.43%) की गिरावट तथा उत्तर प्रदेश एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2004 के संदर्भ में राज्य द्वारा राजस्व आधिकाय को बनाये रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष व्यय में कमी को नीचे दर्शाया गया है:-

	2007&08	2008&09	2009&10	2010&11	2011&12
बजट अनुमान	67871.38	74828.67	92866.65	111066.21	125793.66
वास्तविक व्यय	65223.21	75968.89	89373.61	107675.61	123885.17
अन्तर	2648.17	(-)1140.22	3493.04	3390.60	1908.49
बजट अनुमान से अंतर का प्रतिशत	4	2	4	3	2

बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में गिरावट (0.43%) को संयोजित कर राज्य सरकार को एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने की समस्या का सामना करना पड़ा। कुल राजस्व व्यय का लगभग 67% आयोजनेतर व्यय (वेतन, पेंशन इत्यादि) के लिए प्रतिबद्ध था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने अनुमानित सहायता का केवल 86% अनुदान ही जारी किया। परिणामतः आयोजनागत व्यय वर्ष 2010–11 में ₹21039.53 करोड़ से 7.5% बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹22615.92 करोड़ हो गया।


### 3-2-1 जटिलता; दृष्टि व्यय का अनुदान 2011 & 12

₹ करोड़ में

घटक	धनराशि	प्रतिशत
क— राजकोषीय सेवायें	2815-73	2
(i) संपत्ति एवं पूँजी लेन—देन पर कर संग्रह	1662.85	1
(ii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर संग्रह	1135.07	1
(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	17.81	—
ख— राज्य के अंग	1475-62	1
ग— ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	24107-57	20
घ— प्रशासनिक सेवायें	10390-68	8
ङ— पेंशन एवं प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	14157-32	12
च— सामाजिक सेवायें	47390-94	38
छ— आर्थिक सेवायें	18292-21	15
ज— सहायता अनुदान एवं अंशदान	5255-10	4
कुल व्यय (राजस्व लेखे)	123885-17	100

### 3-2-2 जटिलता; 2007 & 12 व्यय के मुख्य घटकों का प्रवाह

₹ करोड़ में



(क) सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष 2048 (ऋण को घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन) एवं मुख्य लेखाशीर्ष 2049 (ब्याज की अदायगी) सम्मिलित नहीं है तथा मुख्य लेखा शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) सम्मिलित है।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय (जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे—ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई) में अन्य सेवाओं में स्थिर वृद्धि के सापेक्ष न्यूनतम वृद्धि है।

### 3-3 *i[[thxr 0; ; dk {ks=okj forj.k*

वर्ष 2011–12 में पूँजीगत संवितरण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.28% बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 2716.94 करोड़ कम था। (आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹ 2440.33 करोड़ तथा आयोजनेत्तर व्यय के अन्तर्गत ₹ 276.61 करोड़ का कम भुगतान हुआ।)

#### 3-3-1 *i[[thxr 0; ; dk {ks=okj forj.k*

वर्ष 2011–12 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 1763.62 करोड़ (वृहत् सिंचाई पर ₹ 1192.47 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 142.70 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 428.45 करोड़) का व्यय किया। उपर्युक्त के अलावा सरकार ने भवनों के निर्माण पर ₹ 379.88 करोड़ का व्यय तथा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹ 4379.00 करोड़ का निवेश किया।


(करोड़ ₹ में)			
d01 0	I DVj	/kuj kf' k	i fr'kr
1&	I kekU; I sk; ॥ & पुलिस, भू-राजस्व इत्यादि	1143.62	5
2&	Lkkekftd I sk; ॥ & शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण इत्यादि	5187.14	23
3&	VkfFkd I sk; ॥ & कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि।	15243.20	68
4&	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	975.57	4
	dky	22549.53	100

### 3-3-2 फैसिलिटीज़ इंटर्व्ह्यूज़ के लिए अधिकारी

(करोड ₹ में)

दृष्टि का वर्ष	विवर	2007&08	2008&09	2009&10	2010&11	2011&12
1-	सामान्य सेवायें	574.89	841.35	610.97	1002.05	1143.62
2-	सामाजिक सेवायें	2113.63	2945.44	4702.02	4795.47	5187.14
3-	आर्थिक सेवायें	14261.86	18558.93	19778.24	14475.28	15243.20
4-	ऋण तथा अग्रिम	741.96	807.01	941.85	968.22	975.57
	कुल	17692.34	23152.73	26033.08	21241.02	22549.53


पूँजीगत व्यय के सेक्टर वार वितरण की प्रवृत्ति






## 4.1 आयोजनागत व्यय का अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत

4-1 आयोजनागत व्यय का अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत (2011-12)



4-2 आयोजनागत व्यय का अन्तर्गत व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजनागत व्यय कुल व्यय का 30% ₹43765.50 करोड़ था। (₹33056.48 करोड़ राज्य आयोजनागत के अन्तर्गत, ₹10294.54 करोड़ केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत तथा ₹414.48 करोड़ कर्जा तथा अग्रिमों के अन्तर्गत)।




4-2-1 आयोजनागत व्यय का अन्तर्गत व्यय

(करोड़ ₹ में)


	2007&08	2008&09	2009&10	2010&11	2011&12
कुल पूँजीगत व्यय	17692.34	23152.73	26033.08	21241.02	22549.53
पूँजीगत व्यय (आयोजनागत )	14087.28	18477.81	19433.51	20198.36	21149.58
कुल पूँजीगत व्यय की तुलना में पूँजीगत व्यय (आयोजनागत)	80	80	75	95	94

का प्रतिशत						
4-3	vk; kstuRrj 0;					

वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजनेत्तर व्यय, कुल व्यय का 70 प्रतिशत ₹102669.20 करोड़ था। (₹101269.25 करोड़ राजस्व के अन्तर्गत तथा ₹1399.95 करोड़ पूँजीगत के अन्तर्गत)।



4-4	ifrc) 0;
-----	----------



?	2007&08	2008&09	2009&10	2010&11	2011&12
प्रतिबद्ध व्यय	44736.22	45977.27	60685.06	71429.90	82729.90
राजस्व व्यय	65223.21	75968.89	89373.61	107675.61	123885.17
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	65	59	63	64	63
राजस्व व्यय की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	69	61	68	66	67

प्रतिबद्ध व्यय का उर्ध्वमुखी प्रवाह विकासात्मक व्यय हेतु सरकार के लचीलेपन को कम कर देता है।



fofu; kx ys[ks

## 5.1 fofu; kx ys[ks 2011&12 dk | kj ka k

(करोड़ ₹ में)

de 1 0	0; ; dh i dfr	ey vunku	vuj j d vunku	i ufofu; ks x	; kx	okLrfod 0; ;	cpr (-) 0; ; kf/kD; (+)
1	राजस्व मतदेय भारित	102236.19 24004.76	6595.32 57.71	शून्य शून्य	108828.51 24062.47	100258.00 24328.22	(-)8570.51 265.75
2	पूंजीगत मतदेय भारित	34389.78 135.20	3631.42 -	शून्य शून्य	38021.20 135.20	32475.22 94.66	(-)5545.98 (-)40.54
3	लोक ऋण भारित	18356.26	41.63	शून्य	18397.89	8287.61	(-)10110.28
4	ऋण एवं अग्रिम मतदेय	923.30	556.85	शून्य	1480.15	975.58	(-)504.57
	; kx	180045.49	10879.93	शून्य	190925.42	166419.29	(-)24506.13

## 5.2 xr i kp o' kx ds vllrxr cpr@0; ; kf/kD; dk i pkg

(करोड़ ₹ में)

o' kx	cpr (-)/ 0; ; kf/kD; (+)				; kx
	jktLo	i wthxr	ykd __.k	__.k rFkk vfxe	
2007-08	(-)4217.26	(-)1797.46	(-)10223.64	(-)200.38	(-)16438.74
2008-09	(-)6998.64	(-)335.60	(-)10001.67	(-)101.79	(-)17437.70
2009-10	(-)7276.68	(-)3472.01	(-)10220.43	(-)542.30	(-)21511.42
2010-11	(-)5531.53	(-)7506.18	(-)10778.28	(-)106.14	(-)23932.13
2011-12	(-)8304.76	(-)5586.52	(-)10110.28	(-)504.57	(-)24506.13

### 5.3 egRoi wkl cpr

किसी अनुदान के अन्तर्गत पर्याप्त बचतें यह दर्शाती है कि या तो किन्हीं योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया गया या धीमी गति से कार्यान्वित किया गया।

निरन्तर और पर्याप्त बचत वाली कुछ अनुदानों को नीचे दर्शाया गया है:

विभाग	वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	(करोड़ ₹ में)
9	ऊर्जा विभाग	(-)1553.29	(-)2482.65	(-)1941.92	(-)898.01	(-)116.48	
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	(-)346.95	(-)439.52	(-)351.92	(-)226.92	(-)235.76	
21	खाद्य तथा रसद विभाग	(-)2530.29	(-)334.43	(-)1627.58	(-)5474.26	(-)1921.82	
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	(-)207.77	(-)492.49	(-)568.46	(-)243.11	(-)292.92	
37	नगर विकास विभाग	(-)1226.47	(-)312.17	(-)428.64	(-)1398.91	(-)887.28	
42	न्याय विभाग	(-)120.95	(-)278.26	(-)306.52	(-)349.42	(-)330.09	
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	(-)116.22	(-)197.79	(-)219.35	(-)181.91	(-)638.36	
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	(-)337.09	(-)496.62	(-)442.15	(-)396.56	(-)238.57	
61	वित विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	(-)10229.30	(-)11426.90	(-)10063.54	(-)9518.37	(-)10460.76	
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	(-)635.46	(-)870.11	(-)1015.85	(-)213.95	(-)1207.91	

2011–12 के दौरान, अनुपूरक अनुदान ₹10879.93 करोड़ (कूल व्यय का 6.54 प्रतिशत) कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ, जहाँ वर्ष के अन्त में मूल आवंटनों के सापेक्ष पर्याप्त बचत है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गये हैं:—

vupku l a; k	uke	vukkx	ey	vujid	okLrfod 0; ;
2	आवास विभाग	पूंजीगत(दत्तमत)	1072.64	66.00	943.62
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व(दत्तमत) पूंजीगत(दत्तमत)	2486.58 687.72	300.50 62.10	2020.72 648.95
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	पूंजीगत(दत्तमत)	1313.99	150.00	1272.16
21	खाद्य तथा रसद विभाग	पूंजीगत(दत्तमत)	8770.58	3.76	6962.55
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व(दत्तमत)	3520.40	495.77	3380.07
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	राजस्व(दत्तमत)	1659.15	51.37	1640.62
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सेतु)	पूंजीगत(दत्तमत)	1262.42	156.91	1109.10
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व(दत्तमत)	18881.00	797.40	18790.40
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व(दत्तमत)	2074.17	41.03	1369.44
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व(दत्तमत)	1412.42	2.94	1406.81
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व(दत्तमत)	3394.05	61.76	3325.75
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व(दत्तमत)	6163.03	577.77	5948.34
94	सिंचाई विभाग (कार्य)	पूंजीगत(दत्तमत)	3306.65	11.32	2583.11

# V /; k; VI

i f j | E i f R r ; k a , o a n k f ; R o

## 6-1 i f j | E i f R r ; k a

लेखे का वर्तमान प्रारूप सरकारी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन जैसे भूमि, भवन इत्यादि, सिवाय उस वर्ष के जब उसको अधिग्रहीत/क्रय किया गया है, को नहीं प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से जब लेखे वर्तमान वर्ष में होने वाले दायित्वों का प्रभाव दर्शाते हैं, वे भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ने वाले कुल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं सिवाय सीमित सीमा तक ब्याज दर तथा वर्तमान ऋणों की अवधि के।

वर्ष 2011–12 के अंत तक गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों (पीएसयू) में अंश पूँजी पर कुल निवेश ₹42607.07 करोड़ था। तथापि, वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त लाभांश ₹38.17 करोड़ (0.09%) था। वर्ष 2011–12 के दौरान निवेश में वृद्धि ₹4334.53 करोड़ हुई जबकि लाभांश आय में वृद्धि ₹11.37 करोड़ की हुई।

31 मार्च 2011 को रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष ₹414.63 करोड़ था, जो मार्च 2012 के अंत में घटकर ₹(-) 619.34 करोड़ हो गया।

## 6-2 \_\_.k , o a n s r k ; s

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार लेने की शक्ति प्रदान करता है जैसा राज्य विधान मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया गया हो।


राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विवरण निम्नवत है:—

o'k	ykd __.k	I dy jkT; ?kj yw mRi kn dk i fr kr	ykd ys[kk /*)	I dy jkT; ?kj yw mRi kn dk i fr kr	dy ns rk; s	I dy jkT; ?kj yw mRi kn dk i fr kr
2007-08	107719.78	28.12	66528.02	17.37	174247.80	45.49
2008-09	117703.32	26.47	69707.38	15.68	187410.70	42.14
2009-10	132523.80	25.33	69196.58	13.23	201720.38	38.56
2010-11	146534.80	24.21	78250.45	17.93	224785.25	37.14
2011-12	157899.49	22.96	85329.65	12.41	243229.14	35.36

\* उच्चत एवं प्रेषण के अवशेष शामिल नहीं हैं।  
टिप्पणी—आंकड़े वर्ष के अंत में प्रगामी अवशेष के हैं।

वर्ष 2010–11 की तुलना में लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹18443.89 करोड़ (9%) की निवल वृद्धि हुई।

## सरकारी देनदारियों का प्रवाह



(क) बगैर ब्याज की देयताएँ जैसे स्थानीय निधियों की जमा। अन्य उद्दिष्ट निधियाँ इत्यादि।

### 6-3 इनकारण का

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा लिये ऋण और पूँजी तथा उसपर ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नवत् हैः—

वर्ष	इनकारण वर्ष/कार्यवर्ष	31 दिसंबर 2012 की संख्या	
		एवं/कु	केंद्रीय
2007–08		18144.16	12735.83
2008–09		27891.55	16084.00
2009–10		29311.36	19592.26
2010–11		29778.16	20162.03
2011–12		29628.83	21659.16

# V//; k; VII

vll; ena

## 7-1 egRoi wkl yu nuka ds pdka dk 0; i xr gkuk

पूरे वर्ष के व्यपगत चेकों के लेखांकन के दौरान यह तथ्य जानकारी में आया कि भविष्य निधियों और बीमा निधियों के आहरण/भुगतान तथा राजस्व प्राप्तियों की वापसी आदि से संबंधित चेक काफी संख्या में व्यपगत हुए पाये गये थे। इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में व्यपगत चेकों की स्थिति निम्नवत् है—

(करोड़ ₹में)

0' k	0; i xr pdka dk dy eW;	8009&j kT; Hkfo'; fuf/k; ka ds 0; i xr pdka dk eW;	8011 th0vkD, I 0ds 0; i xr pdka dk eW;	jktLo ikflr; ka dh oki l h ds l cdk ea 0; i xr pdka dk eW;	I jdkjh I pdka dks __.k rFkk vfxe ds l cdk ea 0; i xr pdka dk eW;	vll;
2009–10	55.36	3.44	1.10	3.82	—	47.00
2010–11	83.07	3.39	1.55	5.02	—	73.11
2011–12	39.34	—	—	—	0.12	39.22

## 7-2 jkT; I jdkj }jk fn; s x; s \_\_.k ,oa vfxe

वर्ष 2011–12 के अंत में राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण एवं अग्रिम ₹10987.98 करोड़ थे। इसमें से सरकारी निगमों/कंपनियों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की धनराशि ₹10815.63 करोड़ थी। 31 मार्च 2012 के अन्त तक मूलधन की राशि ₹855.77 करोड़ तथा ब्याज की राशि ₹65.96 करोड़ की वसूली बकाया थी।

## 7-3 LFkuh; fudk; ka rFkk vll; dks foRrh; I gk; rk

विगत पांच वर्षों के दौरान, स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान वर्ष 2007–08 में ₹15360.39 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹39214.31 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं को कुल अनुदान का 14.36 प्रतिशत (₹5629.49 करोड़) दिया गया।

विगत पांच वर्षों में सहायता अनुदानों का विवरण निम्नवत् हैः—

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	संप्रयोगी अनुदानों का अंकदर्शक	प्रति वर्ष और वर्षों का औसत			
2007–08	—	—	—	—	15360.39
2008–09	2177.38	2940.39	472.27	15823.95	21413.99
2009–10	1878.21	2461.07	491.54	20222.70	25053.52
2010–11	959.26	1389.57	—	28400.49	30749.32
2011–12	2922.91	2706.58	—	33584.82	39214.31

## 7-4 ज्ञानमंडल के लिए रकम का उद्दिष्ट निधि व्यय

(करोड़ ₹ में)

उद्दिष्ट	1 विधि 2011 दिसंबर	31 दिसंबर 2012 दिसंबर	"का अंश विवरण"
रोकड़ शेष	414.63	(-)619.34	(-) 1033.97
रोकड़ शेष का निवेश (भारत सरकार के ट्रेजरी बिल)	9877.81	14052.72	(+)4174.91
उद्दिष्ट निधि शेष से निवेश			
(क) मूल्य हास आरक्षित निधि	44.42	44.42	0.00
(ख) आपदा राहत निधि	0.78	0.78	0.00
(ग) अन्य निधियाँ	0.00	0.00	0.00
व्याज की उगाही	231.87	311.96	(+) 80.09

वर्ष 2011–12 के अन्त में राज्य सरकार के नकद शेषों तथा उद्दिष्ट निधि शेषों को निवेशों में उपयोग करने के बावजूद अन्तिम रोकड़ शेष ऋणात्मक था। इन निवेशों पर व्याज की प्राप्तियों में 35% की वृद्धि हुई।

## 7-5 योग्य लेखे

लेखे की परिशुद्धता तथा विश्वसनीयता, अन्य बातों के अलावा, विभागों के पास उपलब्ध आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करती है। यह कार्य सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखों के स्तर पर किया जाता है। कई विभागों के लेखे का मिलान कार्य बकाया है।

वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार के कुल व्यय ₹145459.13 करोड़ में से मात्र 99.43% (₹144634.87 करोड़) का मिलान किया गया।

इसी भांति, कुल प्राप्तियों ₹130869.70 करोड़ में से मात्र 99.85% (₹130673.86 करोड़) का ही मिलान किया गया। विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखों के मिलान की स्थिति निम्नवत् हैः—

fooj . k	ed[ ; fu; ॥. k vf/kdkfj ; kः dh । ॥; k	i ॥ k #i l s feyku fd; k x; k	v k f kd #i l s feyku fd; k x; k	feyku ugha fd; k x; k
व्यय	151	135	04	12
प्राप्तियाँ	43	35	02	06
tkM+	194	170	06	18

feyku e॥ dN fpj dkfyd p॥ d j us okyka dh I ph fuEuor~g%

de । ॥; k	foHkkx@ed[ ; fu; ॥. k vf/kdkfj ; kः ds uke	cdk; k o' k
1.	सचिव, योजना विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ	2011–12
2	सचिव, आवास एवं शहरी योजना विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ	2011–12
3.	निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ	2009–10 से 2011–12
4.	निदेशक, कृषि, उ0 प्र0, लखनऊ	2009–10 से 2011–12
5.	प्रधान सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, उ0 प्र0,लखनऊ	2010–11 तथा 2011–12
6.	सचिव, नगरीय विकास, उ0 प्र0 लखनऊ	2009–10 से 2011–12
7.	महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद	2009–10 से 2011–12
8.	सचिव, राजस्व, उ0 प्र0 लखनऊ	2010–11 तथा 2011–12
9.	सचिव, वन विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ	2011–12
10.	आयुक्त समाज कल्याण/प्रधान सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ	2009–10 से 2011–12
11.	सचिव, ग्राम्य विकास/आयुक्त ग्राम्य विकास , उत्तर प्रदेश,लखनऊ	2011–12
12.	सचिव, लघु सिंचाई, उ0 प्र0 लखनऊ	2011–12

## 7-6 dks kkxkjka }kjk iLrq ys[ks

कोषागारों द्वारा प्रारम्भिक लेखों का प्रस्तुतीकरण संतोष जनक रहा। तथापि लोक निर्माण तथा वन खण्डों के लेखे के प्रस्तुतीकरण में सुधार अपेक्षित है।

## 7.7 | kj vkdfLedrk ¼, -I h½ fcy rFkk foLr;r vkdfLedrk ¼Mh-I h½ fcy

जब धन की आवश्यकता अग्रिम रूप में हों या आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक वास्तविक धनराशियों की गणना करने में असमर्थ होने की स्थिति में उन्हें बिना समर्थित दस्तावेजों के सार आकस्मिकता बिलों के माध्यम से धनराशि आहरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार के सभी सार आकस्मिकता बिलों का निस्तारण 30 दिनों के अन्दर विस्तृत आकस्मिकता बिलों के माध्यम से किया जाना आवश्यक होता है। यह तथ्य कि 31 मार्च 2012 के अन्त में 10939 विस्तृत आकस्मिकता बिल जिनकी धनराशि ₹157.54 करोड़ थी, बकाया थे जिससे यह इंगित होता है कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

## 7.8 ०; ; dk vfrj; d

वित्तीय नियम अनुबद्ध करते हैं कि व्यय का अतिरेक, विशेषकर वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में, एक प्रकार से वित्तीय नियमिता का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिये। ऐसा देखा गया है कि कुछ विभाग इस आचरण में संलग्न रहे तथा कुल व्यय के 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक व्यय मार्च में किया जो निम्नवत हैः—

(करोड़ ₹ में)

ys[kk "kh' kZ	fooj .k	i Fke frekgh	f}rh; frekgh	r rh; frekgh	prfkl frekgh	; kx	ekpZ01 2 ds nkjku	o' kZ 2011&12 e@ foHkkx ds dy 0; ; ds l ki gk ekg 3@12 dk ifr kr
2040	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	113.19	101.36	101.40	624.94	940.89	563.05	60
2215	जलापूर्ति स्वच्छता	165.10	98.86	98.78	530.45	893.19	314.44	35
2425	सहकारिता	64.79	35.86	57.08	308.87	466.60	229.01	49
4058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूंजीगत व्यय	0.00	0.00	0.13	0.37	0.50	0.37	74
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	0.19	4.38	146.99	227.26	378.82	217.09	57
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	24.38	7.18	6.64	37.19	75.39	33.95	45
4401	कृषि कार्य पर पूंजीगत व्यय	59.28	20.87	(-1).29	164.88	243.74	162.39	67
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत व्यय	0.10	0.47	1.45	3.04	5.06	3.04	60
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत व्यय	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100
5452	पर्यटन पर पूंजीगत व्यय	0.83	0.37	18.75	19.99	39.94	20.58	52
6860	उपभोक्ता उद्योग के लिए ऋण	0.90	20.40	169.78	162.02	353.10	161.71	46

## 7.9 viwlz i nthxr dk; klij ifrc) rk

वर्ष 2011–12 तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर अनुमानित लागत ₹2865.28 करोड़ के सापेक्ष कुल ₹2453.03 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2011–12 के अन्त तक अनुमानित लागत को आगे ₹3896.88 करोड़ पुनरीक्षित कर दिया गया। वर्ष 2011–12 में अभियांत्रिकी विभागों द्वारा हस्तगत की गई विभिन्न परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा ₹726.70 करोड़ का कुल व्यय किया गया। दिनांक 31.03.2012 तक ₹449.88 करोड़ भुगतान हेतु देय था।

विभिन्न परियोजनाओं पर मूल अनुमानित लागत (₹2865.28 करोड़) में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिनांक 31.03.2012 के अन्त तक, सिंचाई परियोजनाओं के पुनरीक्षित अनुमानों में असाधारण वृद्धि पायी गयी जो ₹795.66 करोड़ से ₹1760.58 करोड़ हो गयी। ‘अपूर्ण पूंजीगत कार्यों पर प्रतिबद्धता’ पर एक संक्षिप्त अवलोकन नीचे दिया गया है:-

(करोड़ ₹ में)

de l a; k	dk; l dh J s kh	dk; l dh vukfur ykr	o' k ds nkjku 0; ;	o' k ds vllr e; i xkeh 0; ;	yfcr Hkxrku	i pjh(k. k ds mijkr vukfur ykr
1.	सड़क कार्य/पुल	2069.62	524.81	979.57	449.88	2136.30
2.	सिंचाई परियोजनाएं	795.66	201.89	1473.46	..	1760.58
	योग	2865.28	726.70	2453.03	449.88	3896.88

- नोट: i) अपूर्ण पूंजीगत कार्यों पर प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना वित्त लेखे 2011–12 के परिशिष्ट X में उपलब्ध है।  
ii) उपर्युक्त तालिका में आंकड़े विभिन्न खण्डों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से संग्रहित कर दर्शाये गये हैं।